

पत्र संख्या-गव्य (आ0-07) 04 / 2026-(8)-
(डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग)
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

विनय कुमार चौधरी
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना।

पटना-14, दिनांक-

विषय:-

मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-उपशीर्ष-0116-आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ सात निश्चय-2, मांग संख्या-02, विपत्रकोड-02-2404001020116, अन्तर्गत 31.05-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में ₹ 9,38,58,930/- (नौ करोड़ अड़तीस लाख अन्ठावन हजार नौ सौ तीस रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6 एस0एस0(6)55/2026-3884 दिनांक 23.07.2026 एवं विभागीय भुद्धि पत्र ज्ञापांक 4084 दिनांक 30.07.2026 द्वारा स्वीकृत सात निश्चय-2 के तहत नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्पेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन की स्थापना, जिसमें भारत सरकार का अंशदान द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत ₹ 56,88,42,000/- (रुपये छप्पन करोड़ अठासी लाख बियालीस हजार) मात्र के आलोक में राज्य सरकार द्वारा ₹ 28,44,21,000/- (रुपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख एकवीस हजार) मात्र की अंशदान के रूप में कॉम्पेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन की स्थापना की योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-2027 में प्रदान की गई है। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2026-2027 में उक्त राज्यादेश के अनुपालन में विषयांकित बजट शीर्ष में योजना के क्रियान्वयन हेतु बंधेज राशि अन्तर्गत ₹ 9,38,58,930/- (नौ करोड़ अड़तीस लाख अन्ठावन हजार नौ सौ तीस रुपये) मात्र की राशि आवंटित किया जाता है।

2) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-उपशीर्ष-0116-आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ सात निश्चय-2, अन्तर्गत 31.05-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में मूल बजट उपबंधित राशि से होगा।

4) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5) CFMS प्रणाली में Own Office रहने के फलस्वरूप CFMS प्रणाली में बजट उपबंधित राशि अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6) प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त है।

7) प्रस्ताव में सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक- गव्य (आ0-07) 04 / 2026- / पटना -14, दिनांक:-
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक- गव्य (आ0-07) 04 / 2026- / पटना -14, दिनांक:-
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोशागार, विकास भवन, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक- गव्य (आ0-07) 04 / 2026- ^{13(आ0)} / पटना -14, दिनांक:- ^{31/07/2026}
प्रतिलिपि-प्रबंधक (आई0टी0), डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B. K. Singh
निदेशक (गव्य)